संख्या-599/2023/3503/22-2-2023-17(185)/2012

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र स्व0 तहसीलदार सिंह, निवासी जनपद-मीरजापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र स्व0 तहसीलदार सिंह, समेरा, थाना-चिल्ह, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा व्यवसायिक विवाद के कारण दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आपस में मारपीट व गोलीबारी हुयी जिसमें 03 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-147,148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-01, भदोही के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2022 तक 20 वर्ष, 07 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 66 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर (बन्दी संख्या-49533) पुत्र स्व0 तहसीलदार सिंह, निवासी जनपद-मीरजापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-599/2023/3503(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को योजित रिट याचिका(क्रि0) नं0-15/2022 उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर व बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 16.08.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in